न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, जौनपुर।

उपस्थिति–रूपाली सक्सेना (एच0जे0एस0)

जे0ओ0 कोड–यू0पी0 1524

CNR No.UPJP010022882025

Presented on : 20-03-2025
Registered on : 20-03-2025
Decided on : 07-03-2026
Duration : 0 years, 11 months, 18 days

फौजदारी निगरानी संख्या–93/2025

पंजीयन संख्या–93/2025

1–मनोज कुमार उ0त0 45 वर्ष पुत्र स्व0 तीर्थराज
2–दयाराम उम्र लगभग 75 वर्ष पुत्र स्व0 राम दुलार।
सा0मौजा–विरैली, थाना–सरपतहॉ, जिला–जौनपुर।

——निगरानीकर्तागण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार जरिए कलेक्टर, जौनपुर।
2–अजीत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद।
सा0मौजा–विरैली, थाना–सरपतहॉ, जिला–जौनपुर।

———विपक्षीगण

निर्णय

1. निगरानीकर्तागण द्वारा यह फौजदारी निगरानी न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा वाद सख्या–2598/2017 अजीत वर्मा आदि बनाम रामतीरथ वर्मा में पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने द्वितीय पक्ष रामतीरथ आदि द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते से अवरोध हटवाया जाना सार्वजनित हित में आवश्यक समझते हुए धारा 133 दं0प्र0सं0 की नोटिस कंफर्म की गयी एवं थानाध्यक्ष सरपतहॉ को आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित किया गया कि 3 दिन के भीतर अनुपालन कराके अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित करें।

2. संक्षेप में मामले से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि–अजीत वर्मा व अन्य द्वारा विपक्षीगण रामतीरथ वर्मा व अन्य के विरूद्ध धारा 133 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 29.06.2016 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि नजरी नवशा दावा के अन्त में दिया जाएगा, जो सार्वजनिक (आम) रास्ता बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, उस पर द्वितीय पक्ष द्वारा अनाधिकार रूप में दीवाल खड़ी करके आम रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। जब हम प्रथम पक्ष मौके पर जाकर रास्ते पर अतिक्रमण का विरोध किया तब द्वितीय पक्ष मारपीट पर आमदा हो गये, हम प्रथम पक्ष झगड़ा न करके शान्तिपूर्वक लौट आये। तब हम प्रथम कानूनी मशविरा लेकर यह दावा दाखिल किये। द्वितीय पक्ष पूरे ग्राम वासियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिये है, जिससे आबादी से निकल कर रास्ते पर जाना दुर्लभ हो गया है, मौके पर शान्ति भंग की सम्भावना हो गयी

Digitally signed by ROOPALI SAXENA
Date: 2026.03.07 16:34:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

है। अन्त में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करके अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त प्रार्थनापत्र पर थानाध्यक्ष सरपतहॉ से दिनाक 03.07.2017 को स्थलीय जाँच आख्या मांगी गयी तथा उपनिरीक्षक सरपतहॉ द्वारा अपनी स्थलीय जाँच आख्या मय नजरी नक्शा न्यागालय में प्रेषित की गयी। उपनिरीक्षक सरपतहाँ की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दिनाक 22.07. 2017 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत सशर्त आदेश पारित किया गया तथा पक्षों को नोटिस जारी की गयी।

4. दिनांक 18.02.19 को द्वितीय पक्ष रामतीरथ पुत्र रामदुलार द्वारा इस आशय की जवाब देही दाखिल की गयी कि दफा 1 लगायत दफा 6 दरखास्त अस्वीकार है। वांछित प्रार्थना पत्र अस्वीकार है तथा अतिरिक्त कथन किया गया है कि वादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, प्रस्तुत नजरी नक्शा अशुद्ध, असत्य व मनगढ़न्त है। प्रार्थना पत्र में दर्शित आम रास्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। गाटा सं० 453/0.089 हे० हम जबाव देहन्दा के चकपरे की भूमि है। अन्य सहखातेदारों की सहमति से उसके पश्चिम तरफ कुछ खाली भूमि उठने बैठने के लिए छोड़कर मकान बनवाया है, जिसमें दो पेड़ नीम, नॉद, खूँटा आदि मौजूद है तथा जबाव देहन्दा के मकान के पूरब उक्त भूखण्ड के शेष भाग जो बचा है, वह अन्य सहखातेदारों को मिला है। उक्त भूखण्ड के दक्षिण व पश्चिम जबाव देहन्दा के मौरूसी आबादी की जमीन स्थित है, जिसमें जबाव देहन्दा की पशुशाला व मौरूसी मकान बगैरह है। प्रथम पक्ष का यह कथन गलत है कि सार्वजनिक आम रास्ता बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, उस पर द्वितीय पक्ष ने अनाधिकार रूप से दीवाल खड़ी करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया है सरासर गलत व झूठ है। वादीगण दबंग, धनाढ्य, मुकदमेबाज है। राजनिति में उॅची पहुंच रखने वाले भू माफिया है, उसी क्रम में वर्ष 2017 में हम विपक्षी की भूमि संख्या 453/0.089 हे० पर जबरन कब्जा करना चाहते थे, जिससे विवश होकर हम जवाब देहन्दा ने सिविल जज (जू०डि०) शाहगंज, जौनपुर के न्यायालय में वाद संख्या 878/17 तीरथराज बनाम राजेन्द्र कुमार व अन्य प्रस्तुत किया, जो गतिमान है जिसमें अमीन द्वारा रिपोर्ट दी गयी है, जिसमें कोई रास्ता का उल्लेख नहीं है। जब रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं है तो जबाव देहन्दा द्वारा रास्ते पर कोई अवरोध किये जाने का प्रश्न ही नहीं होता है। वादी के गोल के विनय प्रकाश पेसे से वकील है। उपनिरीक्षक थाना सरतपहॉ को अपनी साजिश में लेकर उन्हें अनुचित लाभ देकर दिनांक 08.07.2017 को प्रार्थी के चकपरे की भूमि में रास्ता होने का झूठी रिपोर्ट लगवा दिये। तहतील दिवस पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर रामदुलार बिन्द द्वारा स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की गयी है कि आ०न० 453/0.089 हे० प्रार्थी की भूमिधरी है, विपक्षी रास्ता बनाना चाहते है, जिसमें रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सन्धारणीय नहीं है, विधि विरूद्ध तथा वास्तविकता के विपरीत है। धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही समाप्त किये जाने तथा सशर्त आदेश वापस लिये जाने की याचना की गयी है।

5. द्वितीय पक्ष की तरफ से नकल खतौनी, जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना की छाया प्रति तथा प्रथम पक्ष राजेन्द्र पुत्र रामअजोर का नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा आराजी निजाई को अपनी चकपरे की भूमि बताया गया। जब कि प्रथम पक्ष द्वारा उसे आबादी की भूमि बताया गया। ऐसी दशा में वस्तु स्थित से अवगत होने हेतु क्षेत्रीय लेखपाल से जाँच आख्या मांगी गयी। लेखपाल द्वारा प्रेषित जॉच आख्या मय नजरी नक्शा दिनाकित 24.02.2025 संलग्न पत्रावली है।

6. उक्त आदेश के खिलाफ विपक्षी द्वारा यह आक्षेप लगाते हुए निगरानी प्रस्तुत किया गया है कि आदेश अन्तर्गत निगरानी विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। प्रश्नगत आदेश पारित होने से हम निगरानीकर्तागण की चक गाटा संख्या 453/0.089 हे0 चकपरे की भूमि है, जो प्रभावित हो रही है। प्रश्नगत अदेश पारित कर विद्वान मजिस्ट्रेट ने चकपरे भूमिधरी आराजी को सार्वजनिक रास्ता कायम किया है, जिसके कारण नैसर्गिक न्याय का हनन हो रहा है। पत्रावली पर पर्याप्त मात्रा में अभिलेखीय साक्ष्य एवं शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिससे यह स्पष्ट है कि कोई सार्वजनिक रास्ता बन्दोबस्त हाल के पूर्व से नहीं है, अवर न्यायालय उपरोक्त विधि अवधारणा का नजरअंदाज करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है, जो विधि के अन्तर्गत मान्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या–878/17 तीर्थराज बनाम राजेन्द्र कुमार मु0 शाहगंज, जौनपुर प्रस्तुत किया, जो अभी तक लम्बित है, उसमें अदालत अमीन महोदय ने रास्ता का कोई जिक्र नहीं किया है। तहसील दिवस पर राम दुलार बिन्द द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट आख्या है कि आराजी नम्बर–453/0.089 हे0 निगरानीकर्ता की भूमिधरी है, विपक्षी जबरन रास्ता बनाना चाहते है, जो विधि सम्मत नहीं है। विपक्षीगण द्वारा थानाध्यक्ष व हल्का लेखपाल को साजिश में करके रिपोर्ट लगवाकर हम निगरानीकर्ता की चक को प्रभावित करना चाहते है। निगरानीकर्तागण द्वारा धारा 133 दं0प्र0सं0 का कोई उल्लंघन नहीं किया है और न ही कोई पब्लिक न्यूसेन्स कारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश मैलाफाइडी है, कायम रहने योग्य नहीं है। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार व प्रश्नगता आदेश दिनांकित 27.02.2025 निरस्त किये जाने एवं निगरानीकर्तागण के साक्ष्यों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पत्र धारा 133 दं0प्र0सं0 अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानी के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि–प्रस्तुत निगरानी विधि व्यवस्था के प्रतिकूल है। प्रस्तुत प्रकरण 2017 से चल रहा था इसलिए भारतीय न्याय संहिता के प्राविधान लागू नहीं होगे। धारा–438 या 396, 399 व 440 बी.एन.एस.एस. भारतीय न्यायसंहिता में भी लागू होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्नगत आदेश विधि व तथ्य के प्रतिकूल नहीं है, न किसी के दबाव में पारित किया गया है। कथन निगरानीकर्ता कि 453 नम्बर का विवाद है या पुनरीक्षणकर्ता की चकपरे है, एकदम गलत है। परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी भूमिधरी को सार्वजनिक रास्ता कायम नहीं किया गया है, न नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उलंघन किया गया है। रास्ता आवागमन हेतु सवारी गाड़ी आने–जाने हेतु उत्तरी चक मार्ग से जिस पर खड़न्जा विछा हुआ से विपक्षी स०–2 व अन्य गाँव वालो के मकानात जो दक्षिण है वहाँ तक आने–जाने का सदैव से आवादी कायम होने के समय से है। कोई साक्ष्य रास्ता न होने का नहीं है तथाकथित वाद व उसमें बना मानचित्र जो अमीन द्वारा बनाया गया है। एकपक्षीय है, उसमें जानबूझकर विपक्षी या धारा 133 सीआरपी.सी. के आवेदकों का घर आवादी की आवादी भी नहीं दर्शाई गयी है न तो एकपक्षीय मानचित्र साक्ष्य में ग्रहणीय रहा । उपजिलाधिकारी ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया था और रास्ता आने–जाने सवारी गाड़ी बैल आने–जाने का स्थल पर पाया था और आदेश पूर्ण उचित ढंग से पारित किया गया है। तथाकथित वाद संख्या–878/17 तीर्थराज प्रति राजेन्द्र कुमार का कोई प्रभाव नहीं है। वहीं भी प्रक्रिया अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी प्रारम्भ होने के बाद का है और अमीन रिपोर्ट मानचित्र भी पश्चातवर्ती साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए एकपक्षीय प्राप्त कराया गया है। 453/089 का विवाद नहीं है न निगरानीकर्ता कोई भूमि भूमिधरी के रूप में प्रयोग कर रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रेषित सभी प्रयत्न पश्चातवर्ती है, क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा

साजिशी प्रतिवोदन देने का प्रश्न नहीं रहा। जबकि उपजिलाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण किया था। बरवक्त निरीक्षण के समय एस.डी.एम. शाहगंज, जौनपुर ने रास्ता में गोबर व मिट्टी रखकर रास्ता को अवरोधित पाया है, अवरोध हटाने का अदेश विधि सम्मत हैं। आदेश अस्पष्ट नहीं है बल्कि न्यसेन्स करके बनवाई गई दीवाल के गिरे ईटों को हटाने का सक्षम आदेश पारित किया गया है। किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता के भूमि सं0–453 के सभी अंश धारकों को पक्ष नहीं बनाया गया है। धारा 133 सीआर.पी.सी. के आवेदन पत्र के आवेदक तीन है जानबूझकर लालजी के उत्तराधिकारियों को व राजेन्द्र प्रसाद को पक्ष नहीं बनाया गया है। पुनरीक्षण खण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

8. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि–यह प्रश्नगत निगरीन पोषणीय नहीं है, बलहीन है। प्रश्नगत निगरानी में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है। निगरानी निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 में लेखपाल आख्या तथा एस0एच0ओ0 सरपतहॉ की आख्यानुसार सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्ध करने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत गुणदोष पर पारित किया गया है। निगरानी निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचितय निगरानीकर्ता का नहीं है। अन्य कारणों से भी निगरानी निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

निष्कर्ष

9. निगरानीकर्ता, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्वतापूर्ण बहस सुनी तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 20.03.2025 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश जौनपुर के न्यायालय में संस्थित की गयी। श्रीमान् जनपद न्यायाधीश के स्थानांतरण आदेश से प्रश्नगत निगरानी विधि अनुसार निस्तारण हेतु दिनांक 21.06.2025 को वर्तमान न्यायालय को प्राप्त हुई।

11. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि–विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पत्रावली में जो आदेश पारित किया था, वह विधि विरूद्ध है। क्षेत्राधिकारिता का उल्लंघन हैं। न्यायालय ने विपक्षी के दबाव व प्रभाव में आकर आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश से निगरानीकर्ता की चक, गाटा संख्या 453/0.089 हे0 चकपरे की भूमि प्रभावित हो रही है। विद्वान न्यायालय ने सरसरी तौर पर निगरानीकर्ता की चकपरे की आराजी भूमि पर सार्वजनिक रास्ता कायम करने का मनमाना एवं स्वेच्छया पूर्ण आदेश पारित किया है। सार्वजनित रास्ता किस नम्बर में है, इसका कोई उल्लेख पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं था। पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद 878/17 तीर्थराज बनाम राजेन्द्र कुमार जोकि लम्बित है, जिसमें अमीन आख्या में किसी रास्ते का जिक्र नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों से यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति निगरानीकर्ता की भूमिधरी है। थानाध्यक्ष व हल्का लेखपाल ने साजिशन विपक्षी से मिलकर गलत रिपोर्ट दाखिल

की है। निगरानीकर्ता द्वारा धारा 133 दं0प्र0सं0 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 27.02.2025 को अपास्त करने की याचना की।

12. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि–निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन है तथा पोषणीय नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 में लेखपाल आख्या तथा थानाध्यक्ष सरपतहॉ की आख्या अनुसार सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्ध करने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किया जाने का तर्क दिया और उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करने का भी तर्क दिया गया।

13. विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है–**माता प्रसाद व अन्य बनाम अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 पंचम) प्रतापगढ़ व अन्य [2006 (101) आरडी 209] (उच्च न्यायालय इलाहाबाद)** उक्त विधि व्यवस्था का सादर अवलोकन किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेशित किया कि वह राजस्व एवं प्रशानसनिक विभागों को निर्देश जारी करे कि वह देखे कि लोक पथ इत्यादि अधिक्रमित न हों।

14. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश विधिपूर्ण है तथा कायम रखने योग्य है। प्रश्नगत आदेश न्याय साम्य, शुद्ध व नैसर्गिक न्याय की मंशा के अनुरूप है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

15. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानी प्रार्थनापत्र के समुचित निस्तारण हेतु विचारण बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता है:–

(1) क्या विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है एवं न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग किया है?

16. विचारण बिन्दु के सम्यक निस्तारण के लिये सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि धारा 133 दं0प्र0सं0 का विधिक प्रावधान क्या है एवं उसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन करके आदेश पारित किया जाता है।

17. अध्याय 10 धारा 129 दं0प्र0सं0 148 दं0प्र0सं0 में लोक व्यवस्था और शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान वर्णित किये गये हैं। जिसका भाग ख लोक न्यूसेन्स के बारे में बात करता है तथा 133 दं0प्र0सं0 से 143 दं0प्र0सं0 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं।

धारा 133 दं0प्र0सं0:–कोई न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश–

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि

(क) किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरुद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए अथवा

(ख) किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिसिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसा माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए अथवा

(ग) किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया या बंद कर दिया जाना चाहिए अथवा

(घ) कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि संभाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलांब लगाना आवश्यक है।

(ङ) ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके अथवा

(च) किसी भयानक जीवजंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना चाहिए,

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह

(i) ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दे अथवा

(ii) ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दे या उसे ऐसीरीति से बंद कर दे या विनियमित करे, जैसी निदिष्ट की जाए अथवा ऐसे मामले या पण्य वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसी निदिष्ट की जाए अथवा

(iii) ऐसे भवन का निर्माण रोके या बंद करे, या ऐसे पदार्थ के व्ययन में परिवर्तन करे अथवा

(iv) ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उनमें आलंब लगाए अथवा

(v) ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाड़ लगाए अथवा

(vi) ऐसे भयानक जीवजंतु को उस रीति से नष्ट करे, परिरुद्ध करे या उसका व्ययन करे, जो उस आदेश में उपबंधित है. अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

(2) मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– "लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद–प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं।

18. धारा 134 दं0प्र0सं0 आदेश की तामीला के बारे में प्रावधान करती है। धारा 135 दं0प्र0सं0 यह प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति को आदेश दिया जायेगा।। वह उसका पालन करेगा व कारण दर्शित करेगा। धारा 136 दं0प्र0सं0 में यह प्रावधानित किया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता, वह भा0दं0सं0 188 के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

19. इस मामले में मुख्य विवाद धारा 137 दं0प्र0सं0 व 138 दं0प्र0सं0 से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रावधान करती हैः–

धारा 137 दं0प्र0सं0:–(1) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 दं0प्र0सं के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करता है या ऐसा इंकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इन्कार नहीं करने दिया जाएगा।

धारा 138 दं0प्र0सं0:–(1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है. हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले मे लिया जाता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अंतिम कर दिया जाएगा।

(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

20. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में प्रथम पक्ष अजीत, लालजी व राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा अन्तर्गत धारा 133 दं0प्र0सं का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि– विपक्षी ने सार्वजनिक आम रास्त जो बाप दादा के समय से चला आ रहा है पर द्वितीय पक्ष द्वारा अनाधिकार रूप से दीवाल खड़ी करके आम रास्त अवरूद्ध कर दिया है। अतिक्रमण का विरोध करने पर द्वितीय पक्ष का मारपीट पर आमादा होना। प्रथम पक्ष का झगड़ा न करते हुए कानूनी मशवरे के बाद दावा दाखिल करना, गांववासियों का रास्ता अवरूद्ध होना, शांतिभंग की सम्भावना को देखते हुए द्वितीय पक्ष को अतिक्रमण हटाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

21. जिस पर अजीत पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के प्रार्थना पत्र पर एस0एच0ओ0 सरपतहॉ से स्थालीय जांच आख्या दिनांक 03.07.2017 को आहूत की गयी, जो मय नक्शा नजारी पत्रावली पर दिनांक 08.07.2017 को दाखिल की गयी। उ0नि0 सरपतहॉ की आख्या प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 22.07.2017 को दं0प्र0सं0 की धारा 133 के अन्तर्गत सशर्त आदेश पारित करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी की गयी।

22. उक्त आदेश के विरूद्व विपक्षी रामतीरथ पुत्र रामदुलार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिसका उल्लेख आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.02.2025 में विस्तृत रूप से किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से अपने आपत्ति के साथ नकल खतौनी, जन सूचना अधिकार के तहत मांगी सूचना की छायाप्रति, प्रथम पक्ष राजेन्द्र पुत्र राम अजोर का नोटरी शपथ पत्र भी दाखिल किया गया।

23. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपजिलाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहगंज जौनपुर के समक्ष वाद संख्या 2598/2017अजीत वर्मा बनाम राम तीरथ वर्मा के मामले में प्रथम पक्ष द्वारा विवादित सम्पत्ति को आबादी की भूमि बताया गया। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा आराजी निजाई को अपने चकपरे की भूमि बताया गया। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एस0डी0एम0 न्यायिक द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल की जांच आख्या भी आहूत की गयी। लेखपाल द्वारा दिनांक 24.02.2025 को अपनी जांच आख्या मय नक्शा नजरी प्रेषित की गयी, जिसके पश्चात विद्वान उपजिलाधिकारी न्यायिक द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली में दाखिल थानाध्यक्ष की आख्या दिनांकित 03.07.2017 से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा एक मात्र आम रास्ते पर अवरोध कायम किया गया। जबकि घ ार से खड़न्जा मार्ग तक जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है। स्थल निरीक्षण के बाद आम रास्ते का खुलवाया जाना भी स्पष्ट अंकित है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपजिलाधिकारी न्यायिक द्वारा राजस्व टीम के साथ स्वयं स्थल पर निरीक्षण किया गया, जिस दौरान यह और स्पष्ट हुआ कि द्वितीय पक्ष व अन्य व्यक्तियों के घर से खड़न्जा मार्ग जाने हेतु मौके पर आम रास्ते में गोबर रखकर व मिट्टी पाटकर द्वितीय पक्ष ने रास्ते को अवरूद्ध किया। पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल की आख्या दिनांकित 24.02.2025 से यह स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता बना हुआ है, जोकि घूर रखकर अवरूद्ध किया गया है। आक्षेपित आदेश में यह भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य दीवानी का वाद भी शाहगंज जौनपुर में लम्बित है, जिसके अभिलेख पक्षकारों की ओर से पत्रावली पर दाखिल किये गये। आराजी निजाई को आक्षेपित आदेश में द्वितीय पक्ष की चकपरे की भूमि न होकर आबादी की भूमि होना दर्शाया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सभी विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के पश्चात धारा 133 दं0प्र0सं0 की नोटिस को कन्फर्म करते हुए थानाध्यक्ष सरपतहॉ जौनपुर को आदेशित किया गया कि वह द्वितीय पक्ष राम तीरथ आदि द्वारा अवरूद्ध किये गये रास्ते से अवरोध को सार्वजनिक हित में हटवाकर अनुपालन करायें।

24. 133 दं0प्र0सं की कार्यवाही मात्र लोक शांति बनाये रखने हेतु अरजेंट कार्यवाही के अन्तर्गत आता है। सामान्य तौर पर इस धारा के अन्तर्गत, जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी कोई आदेश पारित नही करेगा, यादि मामले से संबंधित कार्यवाहियां किसी अन्य सक्षम न्यायालय में विचारणीय हो।

25. माननीय उच्चतम न्यायालय की इस संबंध में निम्नवत विधि–व्यवस्था हैः–**ताजमल पूनमचन्द बुरद बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र, 1992, क्रि०लॉ ज० 379–**It is expected that the

Magistrate should record the evidence under Section 133 of Cr.P.C. before making the order absolute, he must accord an opportunity to the persons concerned who are likely to be aggrieved. The proceedings under Section 133 of Cr.P.C. are more or less summary and it cannot be kept in pending for a long time.

26. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य आम रास्ते को लेकर विवाद रहा। विद्वान अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सम्बन्धित प्रावधानों का एवं विधि व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर इस न्यायालय का अवधार्य बिन्दुओं पर यह निष्कर्ष है कि इस मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थतियों का सम्यक मूल्यांकन किया गया था। आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का विधिपूर्ण प्रयोग किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार मौजूद नहीं है। निगरानी में उठाये गये आधार इस प्रकार के नहीं हैं, जिनके कारण विद्वान अवर न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

–आदेश–

फौजदारी निगरानी संख्या 93/2025 मनोज कुमार बनाम राज्य निरस्त की जाती है। न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा वाद सख्या–2598/2017 अजीत वर्मा आदि बनाम राम तीरथ वर्मा में पारित आदेश दिनांकित 27.02.2025 पुष्ट किया जाता है। तद्नुसार पुनरीक्षण निरस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार निस्तारित हो।

दिनांक–07.03.2026

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
जौनपुर।
आई0डी0 नं0 यू0पी0 1524

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–07.03.2026

(रूपाली सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,
जौनपुर।
आई0डी0 नं0 यू0पी0 1524